

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली
अधिसूचना सं. 08/2023
दिनांक: 23 अप्रैल, 2024

विषय: मांस और मांस उत्पादों के लिए हलाल प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।

सा.आ.(अ): केन्द्र सरकार, विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 की अधिसूचना सं. 41/2023 के साथ पठित अधिसूचना संख्या 03/2023 दिनांक 06 अप्रैल, 2023 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा हलाल प्रमाणीकरण निकायों की मान्यता के साथ-साथ निर्यात इकाइयों के पंजीकरण, दोनों के लिए अगले समय अवधि को तीन महीने अर्थात् आगे 04 जुलाई, 2024 तक बढ़ाती है।

2. अधिसूचना का प्रभाव:

हलाल प्रमाणन निकायों की मान्यता और निर्यात इकाइयों के पंजीकरण के लिए समय अवधि तीन महीने अर्थात् 04 जुलाई, 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है।

संतोष कुमार सारंगी
23.4.2024

(संतोष कुमार सारंगी)

महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई-मेल: dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/171/166/एएम21/ईसी/ई-24267 से जारी)